

राजस्व वाद संख्या:-180/2021
ईश्वर वगै० बनाम धनपत वगै०
निर्णय दिनांक:- 08.04.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :-

दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 180/2021

1. ईश्वर पुत्र स्व० श्री जुगलाल जाति धानक निवासी लीखवा, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
2. प्रभाती पुत्र स्व० श्री प्रहलाद जाति धानक निवासी लीखवा, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
3. मातुराम दत्तक पुत्र स्व० श्री सुण्डाराम जाति धानक निवासी लीखवा, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।

- वादीगण

बनाम

1. धनपत पुत्र स्व० श्री शीशपाल जाति धानक निवासी लीखवा, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
2. पार्वती पत्नि टेकुराम, पुत्री स्व० श्री शीशपाल जाति धानक निवासी लीखवा, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
3. बदामा पत्नि स्व० श्री शीशपाल जाति धानक निवासी लीखवा, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
4. बिमला पत्नि मांगेराम, पुत्री स्व० श्री शीशपाल जाति धानक हाल निवासी नलोई, तहसील लुहारु जिला भिवानी हरियाणा।
5. रेशमा पत्नि अमरसिंह पुत्री स्व० श्री शीशपाल जाति धानक हाल निवासी चंदा का बास, तहसील व जिला भिवानी हरियाणा।
6. रोहताश पुत्र स्व० श्री शीशपाल जाति धानक निवासी लीखवा, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
7. इन्द्रावती पत्नि ओमप्रकाश जाति धानक निवासी लीखवा, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
8. सोनू पुत्र ओमप्रकाश जाति धानक निवासी लीखवा, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
9. संतोष पत्नि सुनिल पुत्री ओमप्रकाश जाति धानक हाल निवासी दमकोरा, तहसील लुहारु जिला भिवानी हरियाणा।
10. नरेश पत्नि बंन्टी पुत्री ओमप्रकाश जाति धानक हाल निवासी दमकोरा, तहसील लुहारु जिला भिवानी हरियाणा।
11. ज्योति पत्नि रविन्द्र पुत्री ओमप्रकाश जाति धानक हाल निवासी हुई, तहसील व जिला दादरी हरियाणा।
12. भतेरी पत्नि स्व० श्री पूर्णराम जाति धानक निवासी लीखवा, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
13. राजू पुत्र स्व० श्री पूर्णराम जाति धानक निवासी लीखवा, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।
14. समुन्द्र पुत्र स्व० श्री पूर्णराम जाति धानक निवासी लीखवा, तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

15. कृष्णा पत्नि भंवर पुत्री स्व० श्री पूर्णराम जाति धानक निवासी लीखवा, तहसील पिलानी जिला झुंझुनू राजस्थान।
16. सिलोचना पत्नि राजेन्द्र जाति धानक निवासी लीखवा, तहसील पिलानी. जिला झुंझुनू राजस्थान।
17. रविन्द्र पुत्र राजेन्द्र जाति धानक निवासी लीखवा, तहसील पिलानी. जिला झुंझुनू राजस्थान।
18. पूजा पत्नि मंदीप पुत्री स्व० राजेन्द्र जाति धानक हाल निवासी बुडाना, तहसील राजगढ़ जिला चुरू राजस्थान।
19. सिकन्दर पुत्र राजेन्द्र जाति धानक निवासी लीखवा, तहसील पिलानी. जिला झुंझुनू राजस्थान।
20. जगमाल पुत्र स्व० श्री प्रहलाद जाति धानक निवासी लीखवा, तहसील पिलानी. जिला झुंझुनू राजस्थान।
21. कुन्दन पुत्र स्व० श्री प्रहलाद जाति धानक निवासी लीखवा, तहसील पिलानी. जिला झुंझुनू राजस्थान।
22. राजस्थान ग्रामिण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक राजस्थान ग्रामिण बैंक शाखा कार्यालय बनगोठड़ी कलां, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू
23. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पिलानी जिला झुंझुनू राजस्थान।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक -08.04.2024

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि—

(क) यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 486 रकबा 1.53 है०, खसरा नम्बर 501 रकबा 1.85 है०, खसरा नम्बर 502 रकबा 1.34 है०, खसरा नम्बर 504 रकबा 2.40, खसरा नम्बर 505 रकबा 2.90, खसरा नम्बर 514 रकबा 0.74 है० कुल किता 6 कुल रकबा 10.76 है०, स्थित मौजा लीखवा तहसील पिलानी जिला झुंझुनू का वादी नं० 1 को हिस्सा 1/4 वादी नं. 2 को हिस्सा 1/12, वादी नं. 3 को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण की भूमि का अलग राजस्व रिकॉर्ड बनाया जावे तथा पर्चा लगान भी वादी का अलग से कायम किया जावे।

(ख) यह कि उक्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 21 के मध्य बाई मीट्स व बाई बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर वादीगण के कब्जे शुदा हिस्से को वादीगण का घोषित किया जाकर पर्चा लगान तथा खतौनी वादी के नाम से अलग से कायम की जावे।

17) यह कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 21 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे क वो उक्त कृषि भूमि में वादीगण की कब्जेशुदा कृषि भूमि के कब्जा काश्त में दखल पैदा न करें तथा उनके उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा कारित न करें।

(घ) यह कि अन्य सिद्धी जो बहक वादी हो और भूल व गलती से चाही जाने से रह गई हो तो वह भी वादी को धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलवाई जावें।

(ङ) यह कि हर्जा खर्चा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतीवादी के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने प्राथमिक डिक्री किया जाने का निवेदन किया। विभाजन प्रस्ताव शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं० 2074-77, नक्शा ट्रेस एवं विभाजन प्रस्ताव।

हस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वादी वकील व प्रतिवादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

उपलब्ध अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:-180/2021
ईश्वर वगै० बनाम धनपत वगै०
निर्णय दिनांक:- 08.04.2024

--: आदेश:-

न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 486 रकबा 1.53 है०, खसरा नम्बर 501 रकबा 1.85 है०, खसरा नम्बर 502 रकबा 1.34 है०, खसरा नम्बर 504 रकबा 2.40, खसरा नम्बर 505 रकबा 2.90, खसरा नम्बर 514 रकबा 0.74 है० कुल किता 6 कुल रकबा 10.76 है०, स्थित मौजा लीखवा तहसील पिलानी जिला झुंझुनू राज० की भूमि में तहसीलदार पिलानी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू०अ०/24/09 दिनांक 01.01.2024 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार पिलानी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी मूर्तिब हो।

C
(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 08.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

C
(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:-180/2021
ईश्वर वगै० बनाम धनपत वगै०
निर्णय दिनांक:- 08.04.2024

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी :- दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद सं.- 180/2021
निर्णय दिनांक :- 08.04.2024

ईश्वर वगै० बनाम धनपत वगै०


दावा बाबत खाता विभाजन, घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से सुश्री संजू तंवर एड० की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 08.04.2024 को दयानंद रूयल, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

"न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 486 रकबा 1.53 है०, खसरा नम्बर 501 रकबा 1.85 है०, खसरा नम्बर 502 रकबा 1.34 है०, खसरा नम्बर 504 रकबा 2.40, खसरा नम्बर 505 रकबा 2.90, खसरा नम्बर 514 रकबा 0.74 है० कुल किता 6 कुल रकबा 10.78 है०, स्थित मौजा लीखवा तहसील पिलानी जिला झुंझुनूं राज० की भूमि में तहसीलदार पिलानी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू०अ०/24/09 दिनांक 01.01.2024 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार पिलानी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री मूर्तिब हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 08.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


दयानंद रूयल, सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ